मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 11–83/2010/बी–ग्यारह भोपाल, दिनांक ~~10/15/11/2011~~ 12-5-11

प्रति,

उद्योग आयुक्त,
म0प्र0, भोपाल ।

विषय :– मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति,2010 एवं कार्ययोजना की कण्डिका क्रमांक 15.4, 15.5, 15.7 एवं 15.9 में मेगा प्रोजेक्ट्स को भू–आवंटन में रियायत ।

मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति,2010 एवं कार्ययोजना में मेगा प्रोजेक्ट्स को भूमि आवंटन में रियायतें संबंधी कण्डिका क्रमांक 15.4, 15.5, 15.7 एवं 15.9 निम्नानुसार है :–

15.4 मेगा प्रोजेक्टस से तात्पर्य ऐसे उद्योगों से होगा, जिनमें स्थायी पूंजी निवेश (कार्यशील पूंजी को छोड़कर) रू0 25 करोड़ या अधिक प्रस्तावित हो । ऐसी परियोजनाओं को निर्धारित प्रीमियम दर के 25 प्रतिशत दर पर निम्नानुसार भूमि उपलब्धता के आधार पर, इस शर्त के अधीन उपलब्ध करायी जाएगी कि परियोजना में प्रस्तावित स्थायी पूंजी निवेश 3 वर्ष की अवधि में कर लिया जाएगा :–

क्र0	परियोजना लागत (रू0 करोड़ों में)	रियायती दर की भूमि का क्षेत्रफल
1	25 से 50 तक	आवश्यकतानुसार अधिकतम 5 एकड़ तक
2	50 से अधिक 100 तक	आवश्यकतानुसार अधिकतम 10 एकड़ तक
3	100 से अधिक 200 तक	आवश्यकतानुसार अधिकतम 15 एकड़ तक
4	200 से अधिक 500 तक	आवश्यकतानुसार अधिकतम 20 एकड़ तक
5	500 से अधिक	प्रकरणवार शीर्ष स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति द्वारा निर्धारित क्षेत्रफल

15.5 एग्रो बेस्ड एण्ड फूड प्रोसेसिंग, दुग्ध, हर्बल एवं लघु वनोपज पर आधारित तथा अनुपयोगी वस्तुओं/अपशिष्ट की रिसाईक्लिंग कर, उत्पाद बनाने वाले उद्यमों और बायो– टेक्नोलॉजी से संबंधित विनिर्माण उद्यमों को, जिनमें रू0 10 (दस) करोड़

अथवा इससे अधिक स्थाई पूंजी निवेश हुआ हो, मेगा प्रोजेक्ट मानकर निम्नलिखित अनुसार रियायती दरों पर भूमि की पात्रता होगी :–

क0	परियोजना लागत (रू0 करोड़ों में)	रियायती दर की भूमि का क्षेत्रफल
1	10 से 25 तक	आवश्यकतानुसार अधिकतम 5 एकड़ तक
2	25 से अधिक 50 तक	आवश्यकतानुसार अधिकतम 10 एकड़ तक
3	50 से अधिक 75 तक	आवश्यकतानुसार अधिकतम 15 एकड़ तक
4	75 से अधिक 100 तक	आवश्यकतानुसार अधिकतम 20 एकड़ तक
5	100 से अधिक	आवश्यकतानुसार अधिकतम 25 एकड़ तक

नोट :– अनुपयोगी वस्तुओं / अपशिष्ट की रिसाईक्लिंग कर उत्पादों का निर्माण करने वाले उद्यमों के संदर्भ में अनुपयोगी वस्तुओं / अपशिष्ट की सूची / विवरण वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार पृथक से जारी किया जायेगा।

15.7 इन परियोजनाओं में एग्रो एण्ड फूड प्रोसेसिंग, दुग्ध आधारित, हर्बल एवं लघु वनोपज पर आधारित उ़द्योगों तथा बॉयोटेक्नोलाजी उद्योगों, जिनमें रू0 10 करोड से अधिक स्थायी पूंजी निवेश हुआ हो, को भी इस हेतु मेगा प्रोजेक्ट माना जाएगा ।

15.9 एक ही स्थान पर स्थापित ऐसे उद्यमों, जिनमें नियमित रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या एक हजार से अधिक होगी, को भी इस प्रयोजन हेतु **"मेगा प्रोजेक्ट"** माना जावेगा । ऐसे उद्यम में न्यूनतम पूंजी वेष्ठन का कोई बन्धन नहीं रहेगा । ऐसे उद्यमों के प्रस्तावों पर शीर्ष समिति द्वारा विचार कर सुविधाओं का पैकेज स्वीकृत किया जा सकेगा । ऐसे उद्यमों को निर्धारित प्रीमियम दर के 25 प्रतिशत की दर पर निम्नानुसार भूमि उपलब्धता के आधार पर, इस शर्त पर उपलब्ध कराई जाएगी कि परियोजना में निर्धारित नियमित रोजगार 3 वर्ष की अवधि में सृजित कर लिया जावेगा :–

क0	परियोजना में नियमित रोजगार	रियायती दर की भूमि का क्षेत्रफल
1	1000 से 1500 तक	आवश्यकतानुसार अधिकतम 10 एकड़ तक
2	1500 से अधिक 2000 तक	आवश्यकतानुसार अधिकतम 20 एकड़ तक
3	2000 से अधिक 2500 तक	आवश्यकतानुसार अधिकतम 25 एकड़ तक
4	2500 से अधिक	प्रकरणवार शीर्ष स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति द्वारा निर्धारित क्षेत्रफल

2/ उक्त प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन एतद् द्वारा निर्देश प्रसारित करता है कि उद्योग संवर्धन नीति,2010 एवं कार्ययोजना की उल्लिखित कण्डिकाओं में घोषित सुविधा निम्न शर्तों के अधीन उपलब्ध होगी :–

1– उक्त सुविधा उपरोक्तानुसार स्थायी पूंजी निवेश की औद्योगिक परियोजना वाले सभी मेगा प्रोजेक्ट को उपलब्ध होगी, बशर्ते इकाई ने भूमि की प्रब्याजि हेतु किसी भी प्रावधान अंतर्गत रियायत/छूट प्राप्त न की हो ।

2– उल्लिखित सुविधा नीति की कण्डिका कमांक 20 में रियायत हेतु घोषित अपात्र उद्योग यथा स्लॉटर–हाउस एवं मांस पर आधारित उद्योग, सभी प्रकार के पान मसाला एवं गुटखा विनिर्माण, फूड पल्प पर आधारित पेय से भिन्न सभी प्रकार के साफ्ट ड्रिंक्स का विनिर्माण, मदिरा,तम्बाखू उत्पाद एवं तम्बाखू पर आधारित विनिर्माण, राज्य शासन एवं केन्द्र शासन के द्वारा अथवा उनके उपकमों अथवा संयुक्त उपकम द्वारा स्थापित इकाईयां इत्यादि को उपलब्ध नहीं होगी । आवश्यकतानुसार समय–समय पर अपात्र उद्यमों/उद्योगों की सूची संशोधित की जा सकेगी ।

3– भूमि आवंटन म0प्र0राज्य औद्योगिक भूमि एवं औद्योगिक भवन प्रबंधन नियम–2008 (समय–समय पर किये गये संशोधनों सहित) के अधीन किया जावेगा तथा भूमि की आवश्यकता का निर्धारण इन नियमों के अनुसार इकाई द्वारा निर्मित किए जाने वाले आवृत्त क्षेत्र की सुसंगतता, परियोजना में स्थापित किए जा रहे यंत्र–संयंत्र एवं मशीनरी तथा अन्य आवश्यक आवृत्त क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में होगा ।

4– मेगा प्रोजेक्ट द्वारा आवंटन दिनांक से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि में नीति की उपरोक्त कण्डिकाओं के अनुसार परियोजना में न्यूनतम सीमा का स्थायी पूंजी निवेश नहीं करने की स्थिति में रियायत की राशि, 12 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित वसूल की जावे, बशर्ते शीर्ष स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति द्वारा अतिरिक्त समयावधि परियोजना पूर्ण करने हेतु न दी गई हो, तथा निवेश उक्त अतिरिक्त समयावधि में पूर्ण कर लिया गया हो ।

5– आवंटन के पश्चात् यह भी ध्यान रखा जावे कि यदि प्रस्तावित प्रोजैक्ट में दर्शाए अनुसार भवन/शेड आदि का निर्माण नहीं किया गया है, तो नियमानुसार निर्मित क्षेत्र के अनुपात में आवश्यक खुली भूमि को छोडकर, अतिशेष भूमि इकाई से आवंटन अधिकारी द्वारा वापिस ली जावे ।

6– कमांक 4 एवं 5 के लिए संबंधित इकाई से बंध–पत्र (Bond) प्राप्त किया जावे । इसके अतिरिक्त भूमि के परिप्रेक्ष्य में इकाई एवं विभाग के मध्य निष्पादित की जाने वाली लीज डीड में निश्चित समयावधि के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम स्थाई पूंजी निवेश करने संबंधी शर्त को सम्मिलित किया जावेगा ।

7– उपरोक्त समस्त कार्यवाही म0प्र0राज्य औद्योगिक भूमि एवं औद्योगिक भवन प्रबंधन नियम–2008 एवं समय–समय पर संशोधित नियमों के अधीन प्राधिकृत आवंटन अधिकारी द्वारा की जावेगी ।

8– औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर, शासकीय भूमि का आवंटन शीर्ष स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति के अनुमोदन के पश्चात् नीति की उपरोक्त कण्डिकाओं में दर्शाए अनुसार सक्षम अधिकारी के द्वारा किया जावे ।

9– नीति की उल्लिखित कण्डिकाओं में दर्शाये अनुसार निवेश (रू0 500 / 100 करोड़) से अधिक निवेश अथवा 2500 व्यक्तियों के अधिक लोगों को रोजगार देने वाले उद्योगों के प्रकरणों में शीर्ष स्तरीय निवेश संवर्द्धन साधिकार समिति द्वारा प्रकरणवार गुण–दोष के आधार पर निराकरण किया जावेगा ।

यह आदेश उद्योग संवर्धन नीति,2010 की अवधि में प्रभावशील रहेगा ।

12/05/2011

(मोहम्मद रज्जाक)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

क्रमांक एफ 11–83 / 2010 / बी–ग्यारह भोपाल, दिनांक .11.2010 12.5.11

प्रतिलिपि :–

1 प्रबंध संचालक, म0प्र0 स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

2 प्रबंध संचालक, म0प्र0 ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पो0 लिमि0 भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

3 प्रबंध संचालक, म0प्र0 औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इंदौर / भोपाल / ग्वालियर / जबलपुर / उज्जैन / रीवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

4 महाप्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

/

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग